

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 फरवरी 2021—माघ 12, शक 1942

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 2(अ)02-2018-बी-4(दो)

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2021

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश गृह विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति तथा सेवा नियमों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पुलिस (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति) नियम, 2021 है।
(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "एशियाई खेलों" से अभिप्रेत है, एशियन ओलम्पिक कमेटी द्वारा प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित किए जाने वाली खेल प्रतियोगिता जिसमें एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं;

(ख) "अधिकृत एशियाई चैम्पियनशिप" से अभिप्रेत है, अधिकृत खेल प्रतियोगिता संबंधित खेल के एशियन महासंघ द्वारा 02 अथवा 04 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है;

(ग) "अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता/चैम्पियनशिप" से अभिप्रेत है, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा वर्ष में एक बार आयोजित की जाने वाली सीनियर राष्ट्रीय; उदाहरणार्थ —

: 30वीं राष्ट्रीय सीनियर ताइक्वांडो चैम्पियन नई दिल्ली फरवरी 2012,

: 31वीं राष्ट्रीय सीनियर ताइक्वांडो चैम्पियन बिहार दिसंबर 2012,

: 32वीं राष्ट्रीय सीनियर ताइक्वांडो चैम्पियन राजस्थान सितम्बर 2013,

: 32वीं राष्ट्रीय सीनियर हैण्डबॉल चैम्पियन चंडीगढ़, जनवरी 2011

: 33वीं राष्ट्रीय सीनियर हैण्डबॉल चैम्पियन अन्धप्रदेश जनवरी 2012 तथा

: 34वीं राष्ट्रीय सीनियर हैण्डबॉल चैम्पियन भुवनेश्वर, दिसंबर 2012;

(घ) "राष्ट्र मण्डल खेल" से अभिप्रेत है राष्ट्र मण्डल खेल महासंघ द्वारा प्रत्येक 04 वर्ष में एक बार आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिता जिसमें ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं; उदाहरणार्थ

: राष्ट्रमण्डल खेल 2006, मेलबोर्न,

: राष्ट्रमण्डल खेल 2010, नई दिल्ली,

: राष्ट्रमण्डल खेल 2014, ग्लासगो;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(च) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(छ) "राष्ट्रीय खेल" से अभिप्रेत है, भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा राष्ट्रीय खेल के नाम से आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिता; उदाहरणार्थ —

: 33वें राष्ट्रीय खेल 2007 — गुवाहाटी (असम),

: 34वें राष्ट्रीय खेल 2011 रांची (झारखंड) एवं

: 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 केरल;

- (ज) "ओलम्पिक खेल" से अभिप्रेत है, अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति लुसाने, स्विट्जरलैण्ड द्वारा प्रत्येक चार वर्ष में एक बार आयोजित किए जाने वाले खेल; उदाहरणार्थ: बीजिंग ओलम्पिक 2008, लंदन ओलम्पिक 2012, रियो ओलम्पिक 2016;
- (झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8 5/पच्चीरा/-4-84 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ञ) "मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय खेल महासंघ जिसे संबंधित खेल के अन्तर्राष्ट्रीय खेल महासंघ, भारतीय ओलम्पिक संघ तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है;
- (ट) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (ठ) "अनुसूचित जातियां" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ड) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति, या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ढ) "दक्षिण एशियाई खेल" से अभिप्रेत है, दक्षिण एशियाई खेल महासंघ द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता जिसमें दक्षिण एशियाई देशों भाग लेते हैं। वर्तमान में इसमें 08 सदस्य देश यथा - अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। उदाहरणार्थ -
- : 10वां दक्षिण एशियाई खेल 2006 कोलम्बो श्रीलंका,
 - : 11वां दक्षिण एशियाई खेल 2010 ढाका बांग्लादेश एवं
 - : 12वां दक्षिण एशियाई खेल 2016 गुवाहाटी एवं शिलॉंग भारत;
- (ण) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;
- (त) "विश्व कप अथवा विश्व चैम्पियनशिप" से अभिप्रेत है, संबंधित खेल के अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा दो अथवा चार वर्ष में एक बार आयोजित की जाने वाली सीनियर वर्ग की अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम उन पदक विजेता खिलाड़ियों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश पुलिस में आरक्षक अथवा उप निरीक्षक पद पर सीधे नियुक्त किए जा रहे हैं।
4. **उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति.**— इन नियमों में निर्धारित प्रावधानों एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, सक्षम नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा उन खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलम्पिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्र मण्डल खेल, राष्ट्रीय खेल अथवा अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता अथवा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त किया हो, मध्यप्रदेश पुलिस के विभिन्न भरती नियमों में निर्धारित चयन प्रक्रिया पूरी किए बिना आरक्षक अथवा उप निरीक्षक पद पर सीधे नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
5. **योग्य खेल.**— इन नियमों के अन्तर्गत, उन खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को मध्यप्रदेश पुलिस में आरक्षक अथवा उप निरीक्षक पद पर सीधे नियुक्ति दी जाने पर विचार किया जाएगा, जो विगत ओलम्पिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्र मण्डल खेल अथवा राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित रहे हों।
6. **आरक्षक पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता.**— इन नियमों में निर्धारित प्रावधानों एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, राष्ट्रीय खेल अथवा अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक विजेता खिलाड़ी मध्यप्रदेश पुलिस में आरक्षक पद पर सीधे नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
7. **उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता.**— इन नियमों में निर्धारित प्रावधानों एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, ओलम्पिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्र मण्डल खेल में पदक विजेता खिलाड़ी मध्यप्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक पद पर सीधे नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।
8. **नियुक्ति हेतु अर्हताएं.**— आरक्षक तथा उप निरीक्षक पद पर सीधी नियुक्ति हेतु इन नियमों के अनुसार पदक विजेता खिलाड़ियों को ऊंचाई (Height) में छूट रहेगी, जबकि अन्य अर्हताएं जैसे आयु, शैक्षणिक योग्यता नियुक्ति की दिनांक को लागू मध्यप्रदेश पुलिस के उक्त पद के भर्ती नियमों के अनुरूप रहेंगी।
9. **मूल निवास संबंधी अर्हताएं.**— इन नियमों के अन्तर्गत आरक्षक तथा उप निरीक्षक पद पर सीधी नियुक्ति हेतु विचारण क्षेत्र में आने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है अथवा मध्यप्रदेश राज्य खेल अकादमी में कम से कम 03 वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
10. **पदों की संख्या.**— इन नियमों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में उपलब्ध खाली पदों पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 उप निरीक्षक तथा 50 आरक्षक नियुक्त किए जा सकेंगे।
यदि वित्तीय वर्ष में पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित 10 उप निरीक्षक एवं 50 आरक्षक के सभी पद नहीं भरे जाते हैं तो शेष रिक्त पदों को आगामी वर्षों के खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
11. **विचारण की समय सीमा.**— आवेदन की अंतिम तिथि से तीन वर्ष के भीतर प्राप्त पदकों को ही विचारण में लिया जाएगा। इससे पुराने पदक मान्य नहीं होंगे।
12. **अंकों की गणना.**— विज्ञापित पदों से अधिक पात्र आवेदन होने की स्थिति में चयन प्रक्रिया प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी। अंकों की गणन अनुसूची-1 में दर्शाई गई है।

13. **चयन समिति.**— उप निरीक्षक एवं आरक्षक पद हेतु प्राप्त आवेदन के परीक्षण एवं पश्चात् वर्ती चयन प्रक्रिया चयन समिति के अध्यक्ष अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (वि.स.बल) द्वारा की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन)/पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) तथा संचालक, खेल और युवा कल्याण अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे।
14. **चयन प्रक्रिया.**— इन नियमों के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को तत्समय लागू मध्यप्रदेश पुलिस के भरती नियमों में निर्धारित आयु, शैक्षणिक अर्हता और शारीरिक माप से संबंधित समस्त अर्हताएं पूर्ण करनी होंगी। उन्हें मात्र लिखित परीक्षा तथा शारीरिक प्रावीण्यता परीक्षा से छूट दी जाएगी। पूर्ण चयन प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् चयन समिति द्वारा नियुक्ति हेतु योग्य पाए गए उम्मीदवारों की सूची तैयार कर पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत की जाएगी। उक्त उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन तथा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा, जिसके पश्चात् पूर्णतः योग्य पाए गए उम्मीदवारों को सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे।
15. **आरक्षण.**— इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को उसी जाति/वर्ग समुदाय के आरक्षित पदों पर सभायोजित किया जाएगा, जिस जाति/वर्ग समुदाय का वह उम्मीदवार है।
16. **परिवीक्षा.**— इन नियमों के अधीन प्रारंभिक तौर पर प्रत्येक नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। यदि कर्मचारी का कार्य असंतोषजनक पाया जाए तो परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाएगी। उसे परिवीक्षा अवधि को सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के पश्चात् ही स्थायी किया जाएगा और तभी वह नियमित वेतनवृद्धि का हकदार होगा।
17. **विभागीय प्रशिक्षण में छूट.**— इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने हेतु अधिकतम 06 वर्ष की अवधि तक विभागीय प्रशिक्षण से छूट दी जाएगी। यह छूट तभी दी जाएगी, जब उक्त प्रतियोगिताओं में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा हो।
18. **नियुक्त उम्मीदवारों के उत्तरदायित्व.**— इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त उम्मीदवारों से राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मध्यप्रदेश पुलिस अथवा मध्यप्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने की अपेक्षा की जाती है। कुछ वर्षों बाद जब उनका खेल कैरियर नीचे जाता है अन्यथा वे पुलिस विभाग के सामान्य कार्यों के अतिरिक्त पुलिस विभाग में अन्य कर्मचारियों व उनके बच्चों को खेलों का प्रशिक्षण देकर खेल का वातावरण सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य करेंगे।
19. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
20. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल, की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परंतु मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

21. **निरसन.**— इन नियमों के तत्स्थानी तथा उनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किए जाते हैं:
परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी।
22. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों में की गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों तथा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची-1

(नियम 12 देखिए)

मध्यप्रदेश पुलिस में आरक्षक व उप निरीक्षक के पदों पर पदक विजेताओं के चयन के दौरान प्रदान किए जाने वाले अंकों का विभाजन

अनुक्रमांक	प्रतियोगिता/चैम्पियनशिप	प्रदान किए जाने वाले अंक			
		स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक	भागीदारी
1.	ओलम्पिक खेल	800	700	600	400
2.	विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप (चार/दो वर्ष में एक बार आयोजित होने वाली)	400	300	250	100
3.	एशियाई खेल	300	200	150	75
4.	राष्ट्र मण्डल खेल	200	150	125	50
5.	साउथ एशियन गेम्स	150	125	100	40
6.	अधिकृत एशियन चैम्पियनशिप (चार/दो वर्ष में एक बार आयोजित होने वाली)	125	100	75	30
7.	राष्ट्रीय खेल	50	40	30	15
8.	अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	30	25	20	10

टीप :- (एक) यदि कोई खिलाड़ी एक प्रतियोगिता की विभिन्न विधाओं में अनेक पदक अर्जित करता है तो प्रत्येक पदक की गणना पृथक-पृथक की जाएगी।

(दो) खिलाड़ी द्वारा पदक अर्जित करने की स्थिति में उस प्रतियोगिता/चैम्पियनशिप में "भागीदारी" के अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे।

No. F-2(A)/02/2018/B-4/Two,

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the appointment and service rules of Excellent Sports persons in the Madhya Pradesh Home Department, namely:-

RULES

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Police (Appointment of Outstanding Player) Rules, 2021;
- (2) They shall come into effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Asian Games" means, Sports competition organized by Asian Olympic Committee once in every four years, in which players from different Asian countries participate;
- (b) "Authorised Asian Championship" means, Authorised Sports competition of the said sports, which is organized by Asian Federation of that game once in every 02 or 04 years;
- (c) "Authorized National Tournament/Championship" means, Senior level National Championship organised by recognized National Sports Federation once in a year. For example:
30th National Senior Taekwando championship, New Delhi February 2012,

- 31st National Senior Taekwando championship, Bihar
December 2012,
32nd National Senior Taekwando championship,
Rajasthan, September 2013,
32nd National Senior Handball championship,
Chandigarh, January 2011,
33rd National Senior Handball championship, Andhra
Pradesh, January 2012,
34th National Senior Handball championship,
Bhubhneswar, December 2012;
- (d) “Commonwealth Games” means, Sports competition
organised by Commonwealth Games Federation once
in every 04 years, in which British Commonwealth
countries participate. For example:
Commonwealth Games 2006 Melbourne,
Commonwealth Games 2010 New Delhi,
Commonwealth Games 2014 Glasgow;
- (e) “Governor” means, the Governor of Madhya Pradesh;
- (f) “Government” means, the Government of Madhya
Pradesh;
- (g) “National Games” means, Sports competition organised
by the Indian Olympic Association in the name of
“National Games”. For Example:
33th National Games 2007 Guwahati (Assam),
34th National Games 2011 Ranchi (Jharkhand) and
35th National Games 2015 Kerala;
- (h) “Olympic Games” means, Games organized by the
International Olympic Committee Lausanne
Switzerland once in every four years. For example :
Beijing Olympic 2008, London Olympic 2012 and Rio
Olympic 2016;
- (i) “Other Backward Classes” means, the Other Backward
Classes of citizens as specified by the State
Government vide notification number F-8 5-XXV-4-84,
dated 26th December 1984 as amended from time to
time;

- (j) "Recognised National Sports Federation" means, National Federation of the game which is recognised by the International Federation of the game, Indian Olympic Association and Government of India;
- (k) "Schedule" means, the Schedule appended to these rules;
- (l) "Scheduled Castes" means, any caste, race or tribe or part of or group within a castes, races, tribes specified as Scheduled caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (m) "Scheduled Tribes" means, any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
- (n) "South Asian Games" means, Sports competition organised by South Asian Games Federation in which South Asian Countries participate. Presently, 08 member countries are included in this namely.- Afghanistan, Nepal, Pakistan, Bangladesh, India, Bhutan, Maldives and Sri Lanka. For Example:
10th South Asian Games 2006 Colombo Sri Lanka,
11th South Asian Games 2010 Dhaka Bangladesh,
12th South Asian Games 2016 Guwahati & Shillong Indian;
- (o) "State" means, the State of Madhya Pradesh;
- (P) "World Cup or World Championship" means, senior level International Championship organized once in two or four years by authorized International Federation of the game.

3. Scope and Application.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Services)

Rules, 1961 these rules shall apply to those medallists athletes being appointed directly as constable or sub-inspector in Madhya Pradesh Police.

4. **Direct Appointment of Outstanding Players.-** Subject to the provision and conditions laid down in these rules, direct appointment shall be given by the competent appointing authority to sport persons who won medals in Olympic games, Asian games, Commonwealth games, National games or Authorized National Championship, without under going the selection process prescribed in various recruitment rules of Madhya Pradesh police in the rank of constable or sub-inspector.
5. **Eligible Sports.-** Under these rules, the medal winner players of those Games will be considered for direct appointment to the post of constable or sub-inspector in Madhya Pradesh Police, which are involved in the last Olympic Games, Asian Games, Commonwealth Games or National Games.
6. **Eligibility for appointment to the post of Constable.-** Subject to the provisions and conditions laid down in these rules, medallist of the National Games or Authorised National Championships shall be eligible for direct appointment to the post of constable in Madhya Pradesh police.
7. **Eligibility for appointment to the post of Sub Inspector.-** Subject to the provisions and conditions laid down in these rules, medallist of Olympic Games, Asian Games, Commonwealth games shall be eligible for direct

appointment to the post of Sub Inspector in Madhya Pradesh police.

- 8. Eligibility for appointment.-** As per these rules, for direct appointment of medal winning players for the post of Constable and Sub-Inspector, there shall be relaxation in Height whereas all other remaining eligibilities like age, educational qualifications shall be according to the prevailing recruitment rules of Madhya Pradesh Police as on the date of appointment.
- 9. Eligibility relating to domicile.-** For direct appointment to the post of Constable or Sub-Inspector under these rules, the medalist must be a domicile of Madhya Pradesh or he should have completed 3 years training in Madhya Pradesh Sports Academy.
- 10. Number of posts.-** Under these rules, maximum 10 Sub-Inspectors and 50 Constables can be appointed in each financial year on available vacant posts in Madhya Pradesh Police.

If all 10 posts of Sub-Inspector and 50 posts of Constable reserved for medal winning players are not filled in the financial year, then the remaining vacant posts shall not be carried forward to the post of next year reserved for players.
- 11. Time limit for consideration.-** Medals awarded within three years from the last date of application shall be considered. Older medals shall not be considered.
- 12. Computation of marks.-** Selection process shall be based on marks, in case more eligible application are received as

compared to the advertised number of posts. Computation of marks is shown in Schedule-I.

- 13. Selection Committee.-** Scrutiny of the application for the post of Constable and Sub-Inspector and subsequent selection process shall be headed by the Chairman of the selection committee, Additional Director General (SAF). Members of the committee shall consist of Additional Director General Inspector general (selection), Inspector General (Administration), and Director, Sports and Youth Welfare or his nominated representative.
- 14. Selection Procedure.-** Candidates applying under these rules shall have to fulfil all requirements relating to age, educational qualifications and physical measurements as prescribed in corresponding recruitment rules of Madhya Pradesh Police. They shall have exemption only from written examination and physical proficiency test. After completing the whole selection process, list of candidates found fit for appointment shall be submitted by the selection committee to the Director General of Police. Character verification and medical examination of these candidates shall be conducted, after which competent appointing authority shall issue appointment orders to the candidates found fit in all respects.
- 15. reservation.-** Candidates appointed under these rules shall be adjusted in the posts reserved for the same category/class, to which the candidate belongs.
- 16. Probation.-** Every appointment under these rules shall be initially on probation for a period of two years. Probation

period shall be increased if the performance of employee is found unsatisfactory. He shall be confirmed only after satisfactory completion of probationary period and then only he shall be entitled for regular increments.

- 17. Exemption from departmental training.-** Candidates appointed under these rules shall be exempted from departmental training for a period of maximum 6 years for representing in the National and International tournaments. This exemption shall be given only when their performance in such tournaments is good.
- 18. Responsibilities of Appointed candidates.-** Candidates appointed under these rules are expected to represent Madhya Pradesh Police or State of Madhya Pradesh in the National and International tournaments. When their sports career goes down after some years or otherwise, they shall perform general police duties in addition to strengthening sports environment by imparting coaching to other employees of police department and their children.
- 19. Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.
- 20. Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner, as may appear to it to be just and equitable:

Provided that no case shall be dealt with in any manner less favourable to person than that provided in these rules.

21. Repeal.- All rules corresponding to these rules and in respect of matters covered by these rules, in force immediately before commencement of these rules, are hereby, repealed:

Provided that any order made or action taken under rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

22. Savings.- Anything provided in these rules shall not effect the reservations required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes according to the rules made in this regard by the State Government and the orders issued from time to time and other conditions.

SCHEDULE-1
(See rule 12)

Distribution of marks to be awarded during selection of medallists to the posts of Constables and Sub-Inspectors in Madhya Pradesh Police

Sl. No.	Tournament/Championship	Marks to be awarded			
		Gold Medal	Silver Medal	Bronze Medal	Participation
1.	Olympic Games	800	700	600	400
2.	World Cup/World Championship (Organised once in 04/02 years)	400	300	250	100
3.	Asian Games	300	200	150	75
4.	Commonwealth Games	200	150	125	50
5.	South Asian Games	150	125	100	40
6.	Authorised Asian Championships (Organised once in 04/02 years)	125	100	75	30
7.	National Games	50	40	30	15
8.	Authorised National Championship	30	25	20	10

Note :- (1) If a player wins number medals in different events of tournament, then each medal will be counted separately.

(2) Marks will not be awarded for "participation", in case medal is won by the player in that Tournament /Championship.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.